नोटिस

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी
शासकीय गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

वेबसाईट: www. http://gmcbhopal.net फोन : 0755–4050000

क्रमांक 9080 /अधि0/एन.एच.एम.(6)/2022 भोपाल, दिनांक : 4/3/22

कोविड–19 महामारी प्रभावी प्रबंधन हेतु गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर/सेल–01/2022/1548 भोपाल, दिनांक 02–03–2022 एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक की टीप पत्र क्रमांक 732/दिनांक 26–02–2022 पत्रों के संदर्भ में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में अस्थाई अतिरिक्त मानव संसाधन को मासिक मानदेय पर दिनांक 03–03–2022 से 31–03–2022 तक रखने की अनुमति प्रदान की है।
जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पदनाम	योग्यता	कुल पद	मासिक मानदेय प्रतिमाह
1.	लैब सहायक	12 वी.पास, बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स को प्राथमिकता।	10	रू. 7950/–
2.	डाटा एंट्री आपरेटर	स्नात्कोतर एवं पी.जी.डी.सी.ए./ डी.सी.ए. डिप्लोमा एवं हिन्दी कम्प्यूटर टाईपिंग को प्राथमिकता।	25	कलेक्टर दर

पूर्व से कार्यरत् डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं लैब सहायक जो चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में कोविड–19 रोकथाम हेतु अस्थाई मानव संसाधन के रूप में कार्य कर रहे थे उनका ही इन्टरव्यू किया जावेगा।

पदों की भर्ती के लिये इन्टरव्यू दिनांक 05–03–2022 को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के **गेस्ट हाउस** में प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 12:00 बजे तक आयोजित किये जाऐंगे।

पूर्व से कार्यरत उम्मीदवार ही **इन्टरव्यू में** अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र एवं मूलनिवासी एवं जाति प्रमाण पत्र के मूलदस्तावेजो की एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ ले कर आये।

पूर्व में जमा समस्त आवेदन इस विज्ञप्ति के लिये के मान्य नही होगे। इन्टरव्यू से चयनित उम्मीदवार को तत्काल अधिष्ठाता कार्यालय तथा कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति देनी होगी।

दस्तावेजः अभ्यार्थी को, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जातिप्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार से दस्तावेज पूर्ण न होने की स्थिति में आपको पात्र नहीं माना जाऐगा।

कोविड–19 महामारी की रोकथाम करने हेतु अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए आयु और वर्ग के मानक को शिथिल किया गया है। सभी 21 वर्ष से 60 वर्ष के आयु एवं वर्ग के पद अनुसार पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते है। नियुक्ति अस्थायी तथा अनुबंधित है। आवेदक को चयन के पश्चात् नियुक्ति के समय 500 रू के अनुबंध का व्यय स्वयं करना पड़ेगा। चयनित आवेदक नियुक्ति अवधि समांप्त होने के पश्चात संविदा या नियमित नौकरी के लियें पात्र नही माना जायेगा और न ही इसके लिये कोई दावा करेगा।

इस कार्यलय को बिना कारण बताये किसी भी समय इस नोटिस मे आंशिक रूप में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यलय, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। किसी भी विवाद की स्थिती में केवल न्यायालय भोपाल में परिषद हेतु मान्य रहेगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल